भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1611

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल ही अमृत योजना

1611. श्री दुलू महतोः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री विजय बघेलः

श्री पी. पी. चौधरीः

श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

श्रीमती हिमाद्री सिंहः

श्री आलोक शर्माः

श्री प्रदीप कुमार सिंहः

श्री अनूप संजय धोत्रेः

श्री मनीष जायसवालः

श्री पी. सी. मोहनः

श्रीमती बिजुली कलिता मेधीः

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

श्री लुम्बा रामः

श्री बसवराज बोम्मईः

श्री कंवर सिंह तंवरः

श्री गणेश सिंहः

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

श्री मितेश पटेल (बकाभाई):

श्री यदुवीर वाडियारः

डॉ. जयंत कुमार रायः

श्री जय प्रकाशः

श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेलः

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

श्रीमती हेमा मालिनीः

श्री खगेन मुर्मुः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री मनोज तिवारीः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री बिभु प्रसाद तराईः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री नव चरण माझीः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः
श्री सुरेश कुमार कश्यपः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जल ही अमृत योजना के कार्यान्वयन के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है और देश में इसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) इस पहल में भागीदारी के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा नामित मलजल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) की संख्या कितनी है और शिमला और अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) स्वच्छ जल क्रेडिट प्रणाली का ब्यौरा क्या है और अपशिष्ट जल के शोधन में मलजल शोधन संयंत्रों के कार्य- निष्पादन में सुधार लाने के लिए इन्हें किस प्रकार प्रोत्साहित किए जाने की संभावना है;

(घ) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) अमृत 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत 68 परियोजनाओं के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है और शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए समग्र निधियन में इसका योगदान किस प्रकार है; और

(च) इस मिशन के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पूरी की गई, चल रही परियोजनाओं की संख्या कितनी है और कितनी परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): चूंकि स्वच्छता राज्य का विषय है, अत: शहरों/कस्बों में सीवरेज और सेप्टेज प्रणाली का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है। हालांकि, भारत सरकार अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में सीवरेज और सेप्टेज इंफ्रास्ट्रकचर जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रकचर प्रदान करने में राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के प्रयासों में सहायता करती है।

"जल ही अमृत" अमृत 2.0 सुधारों के तहत एक उप-योजना है, जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को स्थायी आधार पर पर्यावरण मानकों को पूरा करने वाले पुनर्चक्रण योग्य शोधित जल के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस उप-योजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण करना और शोधित प्रवाहित अपशिष्ट में गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहित करना है। इस पहल का लक्ष्य पानी के उपयुक्त पुनः उपयोग के अवसर पैदा करना है, जो मिशन के तहत जल उपलब्धता बढ़ाकर जल सुरक्षा के समग्र लक्ष्य में योगदान देता है। परिकल्पित परिणाम इस प्रकार हैं:

(i) शोधित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार
(ii) शहरी क्षेत्र में शोधित प्रयुक्त जल के पुनः उपयोग की क्षमता में वृद्धि तथा प्रयुक्त जल के पुनः उपयोग के माध्यम से जल उपलब्धता में वृद्धि।
(iii) लक्षित प्रशिक्षण के माध्यम से यूएलबी/पैरास्टेटल्स/परिचालन कर्मचारियों की क्षमता में सुधार
(iv) परिचालन दक्षता और पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन सतत अपशिष्ट प्रवाह/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) और पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) जैसी निगरानी प्रणालियों में वृद्धि।

यह पहल मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को प्रोत्साहन देने के लिए है, न कि नई परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए। इस उप-योजना के तहत मौजूदा एसटीपी की भागीदारी स्वैच्छिक है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, डेस्कटॉप मूल्यांकन, फील्ड सत्यापन, जल गुणवत्ता परीक्षण के आधार पर भाग लेने वाले एसटीपी का मूल्यांकन करने और उसके बाद अंतिम मूल्यांकन के आधार पर पात्र एसटीपी को छह महीने की वैधता के साथ स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है। विभिन्न समूहों में 3-स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाले एसटीपी के लिए प्रोत्साहन राशि इस प्रकार है:

स्टार रेटिंग	समूह - 1	समूह - 2	समूह - 3	समूह – 4	समूह – 5
	एसटीपी शोधन क्षमता				
	< 5 एमएलडी	5 से <10 एमएलडी	10 से <50 एमएलडी	50 से <100 एमएलडी	100 एमएलडी और उससे अधिक
*****	0.75 करोड़	1.5 करोड़	4 करोड़	6 करोड़	8 करोड़
****	0.5 करोड़	1 करोड़	2 करोड़	3 करोड़	5 करोड़
***	0.25 करोड़	0.75 करोड़	1 करोड़	2 करोड़	2 करोड़

इस कार्यक्रम के लिए 70:30 प्रोत्साहन रिलीज संरचना को अपनाया गया है, जिसमें आवश्यक शर्तों को पूरा करने के बाद एसटीपी को 70% प्रोत्साहन जारी कर दिया जाता है और शेष 30% प्रोत्साहन अगले छह महीनों के लिए अपनी स्टार रेटिंग बनाए रखने पर दिया जाता है। 4 स्टार और 3 स्टार रेटिंग वाले एसटीपी अगले वर्ष तक अपने मानकों को क्रमशः 5 स्टार और 4 स्टार रेटिंग में अपग्रेड करने पर उच्च रेटिंग के लिए निर्धारित शेष प्रोत्साहन के लिए पात्र हो जाएंगे।

संबंधित एसटीपी को उप-योजना के अंतर्गत जारी प्रोत्साहन का उपयोग परिचालन क्षमता में सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, रीयूज इंफ्रास्ट्रकचर के लिए पूंजीगत व्यय, वास्तविक समय डाटा प्रबंधन प्रणाली (ओसीईएमएस एवं एससीएडीए आदि) की स्थापना तथा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए करना है।

जल ही अमृत योजना के कार्यान्वयन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं-

i. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया गया है और यूएलबी/एसटीपी ने अमृत 2.0 पोर्टल पर इस मॉड्यूल के संबंध में अपनी जानकारी/विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं।
ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए आयोजित ऑन-साइट और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 2,500

प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें मूल्यांकनकर्ताओं और नमूनाकर्ताओं के लिए दो प्रशिक्षण शामिल हैं।

iii. यूएलबी के डेस्कटॉप मूल्यांकन, फील्ड सत्यापन और क्षमता निर्माण के लिए विशेष एजेंसियों को शामिल किया गया है। मूल्यांकन की प्रगति की एजेंसियों के साथ दैनिक निगरानी की जाती है और उठाए गए मुद्दों का वास्तविक समय के आधार पर समाधान किया जाता है।

iv. क्षेत्रीय डेटा संग्रहण और सत्यापन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है।

अब तक 848 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नामांकित (सूचना प्रस्तुत) किया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला संसदीय क्षेत्र में 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तुत किए गए हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय क्षेत्र में, यूएलबी ने उक्त योजना के तहत अब तक मूल्यांकन के लिए कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तुत नहीं किया है।

(घ) से (च): 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 का शुभारंभ किया गया है, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकेंगे। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 का अन्य प्रमुख फोकस क्षेत्र है। जलाशयों का पुनरूद्धार और हरित स्थानों और पार्कों का विकास मिशन के अन्य घटक हैं। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 2,77,000 करोड़ रूपए है, जिसमें 76,760 करोड़ रूपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अमृत 2.0 दिशानिर्देशों के व्यापक ढांचे के भीतर परियोजनाओं को डिजाइन करने, प्राथमिकता देने और कार्यान्वित करने का अधिकार है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत 1,89,489 करोड़ रूपए की लागत वाली 8,998 परियोजनाओं के लिए राज्य जल कार्य योजनाओं को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की शीर्ष समिति द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

जैसा कि राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने अमृत 2.0 पोर्टल पर बताया है (15.11.2024 तक), 1,15,872.91 करोड़ रूपए की लागत वाली 5886 परियोजनाओं के लिए निविदाएँ जारी की जा चुकी हैं, जिनमें से 85,114.01 करोड़ रूपए की लागत वाली 4,916 परियोजनाओं के लिए ठेके दिए जा चुके हैं। बाकी परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। केंद्रीय आवंटन, अनुमोदित, पूर्ण, चल रही और निविदा वाली परियोजनाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

''जल ही अमृत योजना" के संबंध में दिनांक 05.12.2024 के उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 के भाग (घ) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

केंद्रीय आवंटन, स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और पूर्ण किए गए कार्यों का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण

(सभी राशि करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता (परियोजनाएं)	अब तक अनुमोदित केंद्रीय सहायता	स्वीकृत परियोजनाएं		पूर्ण किए गए कार्य
		धनराशि	धनराशि	संख्या	धनराशि	धनराशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36	34.9	1	34.9	
2	आंध्र प्रदेश	2948	2,947.73	552	8,515.31	429.07
3	अरुणाचल प्रदेश	226	147.59	19	183.01	3.14
4	असम	775	775	60	919.48	37.01
5	बिहार	2628	2,619.77	64	8,481.14	
6	चंडीगढ़	170	170	6	153.52	28.20
7	छत्तीसगढ	1303	1,017.50	111	2,593.66	199.99
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	30	30	1	63.47	
9	दिल्ली	2885	2,104.27	89	2,450.01	245.74
10	गोवा	85	78.78	24	156.35	10.66
11	गुजरात	4512	4,511.80	922	17,431.56	3,540.97
12	हरियाणा	1496	742.62	57	1727.36	190.17
13	हिमाचल प्रदेश	256	255.99	49	321.66	60.20
14	जम्मू और कश्मीर	867	812.28	153	1665.11	5.76
15	झारखंड	1183	1,183.00	113	4202.53	72.96
16	कर्नाटक	4628	4,611.68	703	10274.13	858.90
17	केरल	1374	1,374.00	740	3743.43	414.45
18	लद्दाख	128	58.5	3	195.05	
19	लक्षद्वीप	2	-	-	-	
20	मध्य प्रदेश	4065	4,052.06	1,273	12963.14	412.11
21	महाराष्ट्र	9310	9,310.00	303	31722.23	3,873.61
22	मणिपुर	170	133.11	32	155.73	1.36
23	मेघालय	111	108.45	1	121	91.96
24	मिजोरम	143	140.02	166	157.78	40.54
25	नागालैंड	176	175.96	64	218.9	
26	ओडिशा	1373	1,373.00	348	3940.98	1,276.09
27	पुदुचेरी	150	149.57	19	189.68	55.58
28	पंजाब	1836	1,596.29	195	3659.47	15.24
29	राजस्थान	3552	3,506.49	321	10823.72	1,432.32
30	सिक्किम	40	40	8	49.41	17.52

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता (परियोजनाएं)	अब तक अनुमोदित केंद्रीय सहायता	स्वीकृत परियोजनाएं		पूर्ण किए गए कार्य
		धनराशि	धनराशि	संख्या	धनराशि	धनराशि
31	तमिलनाडु	4942	4,942.00	1,270	14687.83	4,809.45
32	तेलंगाना	2789	2,788.03	252	9584.26	69.06
33	त्रिपुरा	157	157	18	191.53	113.85
34	उत्तर प्रदेश	8161	8,161.00	654	26626.97	3,476.53
35	उत्तराखंड	585	210.38	19	263.04	48.89
36	पश्चिम बंगाल	3658	3,658.00	388	10621.59	1,184.99
कुल योग		**66,750**	**63,976.77**	**8,998**	1,89,089.94	23,016.30

******